न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 29 / 2019
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : **03.06.2019** **निर्णय दिनांक** : 15.01.2025

अनवान

1. गोकल पिता हेमा जी जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती निवासी घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. मथरालाल पिता हेमा जी जाति कुमावत 55 वर्ष पेशा खेती निवासी घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. लेहरू पिता केशा जी जाति कुमावत उम्र वयस्क निवासी घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**विपक्षी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– **अधिवक्ता किशनलाल शर्मा**
विपक्षी की ओर से :– **एकपक्षीय**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घोसुण्डी, पटवार हल्का घोसुण्डी, तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद मे प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 13 के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थिति है, जिसके खाता सं. नया 310 व पुराना 298 आराजी नम्बर 662 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 13 संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के कुछ भाग पर विपक्षी द्वारा दिनांक 06.06.2017 मे जबरन अतिक्रमण कर अवैध रूप से प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के संयुक्त शामलाती भूमि मे निर्माण करने पर आमादा हुआ, प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 द्वारा मना करने पर भी विपक्षी नहीं माना, जिसकी प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना आमेट पर रिपोर्ट दी गई, परन्तु पुलिस ने विपक्षी से मिलकर कोई कार्यवाही नहीं की। विपक्षी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के कुछ भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर जमीन पर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया है, जिसका विपक्षी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 द्वारा मना करने पर भी विपक्षी नहीं माना तथा अवैध रूप से निर्माण कार्य कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नही है। विपक्षी ने इस प्रकार आराजी संख्या 662 के कुछ भाग पर दिनांक 06.06.2017 को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि आराजी संख्या 662 रकबा 0.0400 हेक्टर के बारे में अपने खातेदारी की घोषणा करावे एवं यह भी आवश्यक हो गया है कि विपक्षी को उक्त आराजी नम्बर 662 से बेदखल कराया जावे व विपक्षी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावे कि विपक्षी स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य, नोकर, एजेन्ट आदि उक्त भूमि मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, न ही अन्यत्र किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति द्वारा आराजी नम्बर 662 पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर किये गये निर्माण को विपक्षी के खर्च से हटवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावे जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया मामला होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है, यदि विपक्षी का कब्जा नहीं हटाया गया तो मौके पर विवाद बढेगा एवं प्रार्थीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे सम्भव नही होगी।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जावे उपरोक्त वर्णित भूमि पर विपक्षी ने अनाधिकृत रूप से कब्जा प्रार्थना पत्र के अनुसार कर दिया है, जिसको हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 को सिपुर्द कराई जावे, विपक्षी को उक्त भूमि से बेदखल किया जावें। विपक्षी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य, नोकर, एजेन्ट आदि वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, वादग्रस्त भूमि या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे। विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि आराजी नम्बर 662 रकबा 0.0400 हेक्टर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है, जिसे विपक्षी के खर्चे पर हटाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावें। जब तक विपक्षी उक्त भूमि से बेदखल नही हो जावे तब तक प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित रहने का हर्जाना 2000/– दो हजार रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिलाया जावें। प्रार्थना व्यय, वकील मेहनताना एवं अन्य सहायत जो आप न्यायालय उचित समझे वह प्रार्थीगण कोई दिलाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमि के कुछ भाग पर विपक्षी द्वारा दिनांक 06.06.2017 मे जबरन अतिक्रमण कर अवैध रूप से प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 के संयुक्त शामलाती भूमि मे निर्माण करने पर आमादा हुआ,

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 13 द्वारा मना करने पर भी विपक्षी नहीं माना, अवैध रूप से निर्माण कार्य कर लिया है, जिसका विपक्षी को कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावे कि विपक्षी स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य, नोकर, एजेन्ट आदि उक्त भूमि मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, न ही अन्यत्र किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे।

वादी अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम घोसुण्डी, पटवार हल्का घोसुण्डी, तहसील सरदारगढ, जिला राजसमन्द मे स्थित खाता सं. नया 310 व पुराना 298 आराजी नम्बर 662 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.01.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द